न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 134/2017

अनवानः—

1. ओमप्रकाश पुत्र दीपाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ
2. मनीराम पुत्र दीपाराम जाति कुम्हार मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1. पूर्णराम पुत्र जगमालराज जाति कुम्हार निवासी मुण्डा मुण्डा तह0 व जिला हनुमानगढ
2. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र विरूद्ध आदेश दिनांक 28.04.1983 सहायक उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर परियोजना जिसके द्वारा चक 9 एमडी के मुरबा नं0 164/316 के किला नं0 01 का 18 बिस्वा, 2,3,8,9,10 का 16 बीस्वा, 11 का 16 बिस्वा, 12,13 18 व 23 तादादी 10 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि का गलत एवं विधि विरूद्ध तरीका से एवं तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन करवाया गया। बमुराद मंसूखी उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने प्रार्थना पत्र।

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अभिभाषक प्रार्थीयान
2. श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01
3. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अभिभाषक

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

:—निर्णयः—

दिनांकः—20.09.2021

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 01 परस्पर एक ही परिवार के सदस्य है। मल्लूराम जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 01 के पड़दादा थे, के नाम मौजा रोही मुण्डा में 131 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। उनकी मृत्यु के उपरांत उक्त कृषि भूमि उनके दोनों पुत्रों ईशरराम व जीवनराम के कब्जा काश्त में रही। उक्त कृषि भूमि में से ईशरराम की कब्जा काश्त व हिस्सा की कृषि भूमि में से नहर हेतु चक 8 एमडी व 3 एमडब्ल्यू में से 8 बीघा 10 बीघा कमांड व 10 बीघा 14 बिस्वा कमांड अवाप्त किया गया। उक्त अवाप्ति आदेश के पश्चात स्व0 ईशरराम द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के बदले भूमि लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें स्व0 ईशरराम को 13 एमडी में से 13 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि कमांड देने की अनुषंशा की गई। उक्त अनुषंशा को एसीसी आरसीपी के समक्ष प्रस्तुत किया गया लेकिन उक्त कृषि भूमि पर किसी अन्य का कब्जा काश्त होने के कारण उक्त भूमि स्व0 श्री ईशरराम को नहीं दी जा सकी तथा पत्रावली जेरकार रही तथा दिनांक 08.07.1967 को उपायुक्त उपनिवेशन राजस्थान नहर योजना बीकानेर के द्वारा आदेश पारित कर स्व0 ईशरराम को जमीन के बदले जमीन न देने के आदेश पारित किये गये।

उक्त आदेश के विरूद्ध स्व0 ईशरराम द्वारा उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें दिनांक 12.10.1970 को उक्त पत्रावली रिमांड की जाकर उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर द्वारा पुनः आवश्यक कार्यवाही एसीसी आरसीपी हनुमानगढ को प्रकरण रिमांड किया गया। उक्त रिमांड आदेश प्राप्त होने पर कार्यालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर परियोजना हनुमानगढ द्वारा उक्त प्रकरण की पुनः सुनवाई करते हुए तथा उक्त प्रकरण की पूर्णतः जांच के उपरांत स्व0 ईशरराम व उसके परिवार के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि ना मानते हुए तथा उसे भूमि के बदले भूमि दिया जाना उचित मानते हुए घग्घर में अवाप्तशुदा रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा की एवज में चक 9 एमडी के मुरबा नं0 164/316 के किला नं0 01 का 16 बिस्वा 2,3,8,9,10 का 16 बिस्वा, 11 का 16 बिस्वा, 12,13,18,19,20 का 16 बिस्वा, 21 का 16 बिस्वा व 22,23 तादादी 14 बीघा कृषि भूमि जो कि

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

जोहड़ पायतन की थी, को देने की अनुषंशा की गई। उक्त पत्रावली उपायुक्त एसीसी के समक्ष प्रस्तुत होने पर दिनांक 28.05.1971 को उपायुक्त उपनिवेशन राजस्थान नहर परियोजना द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.01.1971 के अनुसार जोहड़ पायतन का रकबा नहीं दिये जाने का कारण बताते हुए अन्य प्रस्ताव की मांग की गई तथा पत्रावली अन्य रकबा प्रस्तावित होने हेतु नायब तह0 नौरंगदेसर को भिजवाई गई।

इस दौरान उपायुक्त उपनिवेशन राजस्थान बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.70 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी जो अपील राज्य सरकार की स्वीकृत फरमाई गई जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर व उच्च न्यायालय तक उनके द्वारा कार्यवाही की गई। इसी दौरान अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि कतई गलत व विधि विरूद्ध तरीका से राज्य कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने अकेले के नाम से भूमिहीन के रूप में आवंटित करवा ली, जिसको प्रार्थी निम्न आधारों पर चुनौती दे रहा है।

अप्रार्थी जो कि स्वर्गीय ईशरराम का पौता था तथा इसी आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित था, ने राज्य कर्मचारियो से मिलीभगती कर तथा पूर्व मे हुए आवंटन पत्रावली में पारित आदेशों का छुपाते हुए पृथक से गलत व मिथ्या रूप से भूमिहीन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 9 एमडी के मुरब्बा नं0 164/316 के किला नं0 1 का 16 बिस्वा, 2,3,8,9,10 का 16 बिस्वा, 11 का 16 बिस्वा, 12,13,18,23, तादादी 10 बीघा 08 बिस्वा कमांड कृषि भूमि को छिपे तौर पर आवंटन करवा लिया। जबकि उक्त भूमि के संबंध में कार्यालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर परियोजना द्वारा दिनांक 04.01.1971 को स्व0 ईशरराम के समस्त वारिसान के पक्ष में अवाप्तशुदा भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन दिनांक 05.01.1971 को राज्य सरकार के आदेश अनुसार जोहड़ पायतन के रकबा पर आवंटन हेतु रोक लगा दिये जाने के कारण दिनांक 28.05.1971 को उक्त रकबा स्व0 ईशरराम के वारिसान को आवंटित नहीं किया जा सका। लेकिन स्व0 ईशरराम के वारिसान में से ही अप्रार्थी द्वारा कतई गलत एवं विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त रकबा दिनांक 28.04.83 को आवंटन करवा लिया जो गलत एवं विधि विरूद्ध तरीका से आवंटित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है

अप्रार्थी सं0 01 को उक्त तथ्य का बखूबी ज्ञान था कि आवंटन शुदा रकबा जो कि पूर्व में अप्रार्थी के पड़दादा ईशरराम के समस्त वारिसान को भूमि के बदले भूमि दिये जाने के रूप में प्रस्तावित किया गया था। जिसकी कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण टालना नहीं हो सकी। लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने राज्य कर्मचारियों के साथ मिलीभगती कर व न्यायालय को मुगालता में रखते हुए उक्त कृषि भूमि आवंटन करवाई गई जो कतई गलत व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी जो कि ईशरराम का पौता है तथा ईशरराम द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही में पूर्णरूप से उसका हस्तक्षेप रहा है तथा अपने पिता व भाईयों के साथ उक्त मुकदमा की पैरवी भी करता आ रहा था तथा उसे दिनांक 28.05.1971 उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर राजस्थान नहर परियोजना के आदेश का बखूबी ज्ञान था। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा न्यायालय को मुगालता में रखते हुए तथा राज्य कर्मचारियों को प्रभाव में लेते हुए उक्त आदेश पारित करवाया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

आवंटन आदेश दिनांक 28.04.1983 आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष जरिये लॉटरी हेतु आवंटन किया गया। जिसमें अन्य किन–किन व्यक्तियों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया पाया था जिसका कोई हवाला पत्रावली में नहीं हैं तथा पूर्व में जो कृषि भूमि अप्रार्थी के परिवारजन को भूमि के बदले भूमि दिये जाने हेतु प्रस्ताव में ली गई थी तथा उक्त भूमि जोहड पायतन की होने के कारण अवाप्ति के बदले नहीं दी जा सकी वो ही भूमि अप्रार्थी को लॉटरी में निकलना अपने आप में सन्देहजनक साबित कर रहा है। जिससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में मुगालता में रखकर एवं तत्कालीन कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त कृषि भूमि आवंटन करवाई है। इस आधार पर आवंटन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

प्रश्नगत भूमि का आवंटन करवाने के लिये अपार्थी द्वारा अन्य और भी तथ्यों को छुपाया जाकर विधि विरूद्ध रूप से आवंटित करवाया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा गलत एवं मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तथा न्यायालय को मुगालता में रखते हुए जोहड़ पायतन की चक 9 एमडी के मुरबा नं0 164/316

के किला नं0 1 का 16 बिस्वा, 2,3,8,9,10 का 16 बिस्वा, 11 का 16 बिस्वा, 12,13,18,23, तादादी 10 बीघा 08 बिस्वा कमांड कृषि भूमि को खारिज फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 28.04.1983 निरस्त किया जावे।

शिकायत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को तलब किया गया। पत्रावली से संबंधित रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अप्रार्थी द्वारा गलत एवं मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तथा न्यायालय को मुगालता में रखते हुए जोहड़ पायतन की चक 9 एमडी के मुरबा नं0 164/316 के किला नं0 1 का 16 बिस्वा, 2,3,8,9,10 का 16 बिस्वा, 11 का 16 बिस्वा, 12,13,18,23, तादादी 10 बीघा 08 बिस्वा कमांड कृषि भूमि को खारिज फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 28.04.1983 निरस्त किया किया जाने का निवेदन किया गया। *अभिभाषक प्रार्थीयान ने अपनी बहस के प्रक्रम में आरआरडी 2004 पेज 135, आरआरटी 2017 (1) 305 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।*

अभिभाषक अप्रार्थीयान ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि चक 9 एमडी तह0 हनुमानगढ की प्रश्नगत 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थी सं0 01 को दिनांक 28.4.1983 को सद्भावी कृषक एवं राजस्थान का मूल निवासी व राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि के आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 2 (xiii) में परिभाषित "भूमिहीन" व्यक्ति की हैसियत से आवंटन हुई है। अप्रार्थी सं0 01 ने अपने आवंटन प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई मिथ्या सूचना नहीं दी है जिस पर आवंटन अधिकारी ने विश्वास कर प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया हो और कि अप्रार्थी सं0 01 ने ऐसा कोई तथ्य नहीं छिपाया है जो उसे आवंटन की पात्रता से निर्द्वरित करता हो तथा ना ही अप्रार्थी सं0 01 ने प्रश्नगत भूमि का आवंटन सक्षम अधिकारी को धोखा में रखकर करवाया है। प्रार्थीगण ने अपन प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य भी प्रकट नहीं किया है कि अप्रार्थी सं0 01 ने किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है। जिसके कारण प्रश्नगत भूमि उसे आवंटित न हो सकती हो। प्रार्थना पत्र में धारा 11 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में प्रावधित मिथ्या सूचना (False information) से संबंधित तथ्यों का पूर्व अभाव है। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि का आवंटन होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 01 ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में उल्लेखित आवंटन शर्तो का किसी प्रकार से व्यतिक्रम नहीं किया है तथा उसने विहित समयावधि में समस्त किश्ते चुकता की है व दिनांक 20.02.1992 को उसके पक्ष में सनद खातेदारी भी जारी हो चुकी है। अप्रार्थी सं0 01 ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आवंटन पश्चात किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया है तथा ना ही प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य प्रकट किया है कि अप्रार्थी सं0 01 ने आवंटन उपरान्त किस शर्त को भंग किया है। प्रार्थना पत्र में धारा 11 व 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अंतर्गत अप्रार्थी सं0 01 के विधि अनुसार हुये आवंटन को निरस्त किये जाने के लिए अग्रसर होने बाबत विशिष्टियों का पूर्ण अभाव है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पोषणीय नहीं होने से प्रारंभिक प्रक्रम पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

मा0 उपनिवेशन उपआयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 12.10.1970 की पालना में यह प्रकरण रिमाण्ड होकर वापिस आने पर सहायक उपनिवेशन आयुक्त राजस्थान नहर परियोजना हनुमानगढ ने स्व0 ईशरराम की घग्घर डाइवर्जजन चैनल मे लिए अवाप्तशुदा भूमि के बदले भूमि दिया जाना उचित माना तथा तबादला में चक 9 एमडी की अभिकथित 14 बीघा भूमि जो जोहड पायतन की थी, को प्रस्तावित किया गया। उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने जोहड पायतन की भूमि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.01.1971 के अनुसार तबादला में नहीं दी जा सकने का उल्लेख करते हुये अन्य भूमि के प्रस्ताव मंगवाये जाने का आदेश दिनांक 28.05.1971 पारित किया तथा पत्रावली नायब तहसीदार नौरंगदेसर को अन्य रकबा के प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजी गई। उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.1970 के विरूद्ध राज्य सरकार ने उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समुख अपील प्रस्तुत कर दी जो अपील राज्य सरकार क पक्ष में हुई तथा अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा मा0 राजस्व मण्डल अजमेर व मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चाराजोई की गई लेकिन अभी तक आदेश दिनांक 12.10.1970 जो अपील में अपास्त हो चुका था, बहाल नहीं हुआ है। घग्घर डाईवर्जन चैनल के लिए आवाप्तशुदा भूमि के बदले प्रार्थीगण को मुआवजा राशि मिलनी है अथवा भूमि प्राप्त होनी है, यह तथ्य अभी

तक विचाराधीन है लेकिन तत्समय की विधि स्थिति अनुसार चक 9 एमडी की प्रश्नगत 14 बीघा जोहड पायतन की भूमि को तबादला में प्राप्त करने के लिये प्रार्थीगण को अपात्र घोषित किया जा चुका था। प्रार्थीगण का यह कथन सर्वथा झूठ है कि अप्रार्थी सं0 01 ने राज्य कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रश्नगत भूमि अपने पक्ष में आवंटित करवाई हो। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में हुये आवंटन आदेश दिनांक 28.04.1983 को चुनौती देते हुये जो आधार अंकित किये है, वे धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों की परिधि में नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अंकित चुनौती संबंधी आधारो को जवाब निम्न प्रकार है।

अप्रार्थी सं0 01 को अपने पड़दादा स्व0 मलूराम की 131 बीघा 6 बिस्वा भूमिं में से भूमि होने से संभावित हिस्सा (Notional Share) 6 बीघा 11 बिस्वा ही था तथा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 1955 के पश्चात के अस्थाई कृषि पट्टाधारी तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजकीय भूमि आवंटन) शर्तें 1971 अंतर्गत भूमिहीन होने कारण उसने दिनांक 11.04.1974 को भूमिहीन काश्तकार की हैसियत से भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं0 01 ने किसी विशेष भूमि का आवंटन किये जाने का उल्लेख नहीं किया था। अप्रार्थी सं 01 के इस प्रार्थना पत्र पर उसके भूमिहीन काश्तकार, काश्तकारी पेशा होने तथा राजस्थान का सद्भावी कृषक होने की रिपोर्ट हुई तथा दिनांक 06.01.1975 को अप्रार्थी सं0 01 को भूमिहीन काश्तकार के रूप में भूमि क आवंटन का पात्र घोषित किया गया व अप्रार्थी सं0 01 के नाम से लाटरी डाली गई लेकिन तत्समय रकबाराज उपलब्ध न होने के कारण अप्रार्थी सं0 01 का नाम लाटरी में नहीं आया। चूंकि अप्रार्थी सं0 01 को अपने पड़दादा की भूमि में से प्राप्त होने वाली भूमि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र की थी, इस कारण अप्रार्थी सं0 01 को आवंटन हो सकने वाली भूमि की मात्रा के लिये भाखड़ा क्षेत्र में अन्य भूमि होने की तस्दीक भी चाही गई तथाा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.07.1974 के अनुसार भाखड़ा क्षेत्र में अप्रार्थी सं0 01 के नाम से कोई भूमि नहीं थी। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 01 को भूमिहीन घोषित मानते हुऐ तत्समय कोई भूमि आवंटन नहीं हो सकी। तत्पश्चात मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त वर्णित आंवटन शर्ते सन् 1971 को Struck down कर दिया तथा राज्य सरकार ने राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 लागू किये जो दिनांक 08.08.1975 से प्रभावशील हुये। आवंटन नियम 1975 के नियम 2 (xiii) में परिभाषित "भूमिहीन व्यक्ति" के अनुसार इस नये नियमों के अंतर्गत भी अप्रार्थी सं0 01 भूमिहीन व्यक्ति था तथा तहसील से प्राप्त रकबा राज्य की सूची में अप्रार्थी सं 01 की लाटरी में प्रश्नगत भूमी आई। चूंकि यह भूमि जोहड़ पायतन थी तथा आवंटन नियम 1975 के नियम 17 के अंतर्गत जरिये अधिसूचना दिनांक 24.01.81 जोहड़ पायतन की भूमि भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति से भिन्न भूमिहीन काश्तकार का आरक्षित मूल्य के चार गुणा राशि पर आवंटन हो सकती थी। तत्समय इस भूमि का आरक्षित मूल्य 1181 रूपया 25 पैसा था अतः 4 गुणा राशि 4725/- रूपया प्रतिबीघा की दर प्रश्नगत 10 बीघा 08 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं0 01 को दिनांक 28.04.1983 को आवंटित हुई। यह आवंटन कतई तौर पर विधिसम्मत था तथा अप्रार्थी सं0 01 ने अपनी पात्रता के संबंध में कोई तथ्य नहीं छिपाये।

प्रश्नगत जोहड़ पायतन की भूमि स्व0 ईशरराम के वारिसान को तबादला में आवंटन नहीं हो सकने के आदेश दिनांक 28.05.1971 को ही पारित हो चुके थे। यहीं नहीं अपितु उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर का निर्णय दिनांक 12.10.1970 जिसके अंतर्गत तबादला का प्रकरण रिमाण्ड किया गया था, भी उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा अपील में अपास्त किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में स्व0 ईशरराम को तबादला में दिये जाने हेतु एक प्रक्रम पर प्रस्तावित की गई प्रश्नगत भूमि को अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन करने पर कोई कानूनी रोक नहीं थी तथा प्रश्नगत भूमि आराजीराज की सूची में होने से लाटरी में अप्रार्थी सं0 01 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं0 01 ने ऐसा कोई तथ्य नहीं छुपाया जो आंवटन अधिकारी के ज्ञान में ना हो।

स्व0 ईशरराम को प्रश्नगत भूमि तबादला में दिये जाने हेतु एक प्रक्रम पर प्रस्तावित होने व दिनांक 28.05.1971 को यह भूमि स्व0 ईशरराम को आवंटन नहीं हो सकने का आदेश पारित होने के बाद सक्षम आवंटन अधिकारी ने अप्रार्थी सं0 01 को बतौर भूमिहीन आंवटित की है। स्व0 ईशरराम को प्रश्नगत भूमि एक प्रक्रम पर तबादला के लिये प्रस्तावित कर दिये जाने व तत्पश्चात दिनांक 28.05.1971 को यह प्रस्तावित भूमि आवंटन योग्य न होने के कारण यह प्रस्ताव निरस्त कर दिये जाने से प्रार्थीगण की इस भूमि को आवंटन करवाने की

ला कलक्टर
नागढ

प्राथमिकता समाप्त हो चुकी थी। अप्रार्थी सं0 01 ने ना तो सक्षम आवंटन अधिकारी को मुगालता में रखा है, ना ही किसी प्रभाव का इस्तेमाल किया है।

अप्रार्थी सं0 01 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 28.04.1983 को हुआ है। इस आंवटन से पूर्व राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 17 में जरिये अधिसूचना दिनांक 24.04.1981 परन्तुक जोडा जा चुका था तथा जोहड़ पायतन की भूमि आरक्षित मूल्य के चार गुणा राशि पर भूमिहीन व्यक्ति का आवंटन किये जो का प्रावधान आ चुका था। प्रश्नगत भूमि की आरक्षित दर तत्समय मूल्य 1181 रूपया 25 पैसा थी तथा आरक्षित मूल्य के चार गुणा अर्थात राशि 4725/– रूपया प्रतिबीघा की दर से यह भूमि अप्रार्थी सं0 01 को आंवटित हुई है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष गांव मुण्डा के आंवटन हेतु सक्षम घोषित व्यक्तियों का उल्लेख अप्रार्थी की आवंटन पत्रावली में दर्ज होना नामुमकिन था क्योंकि सक्षम घोषित व्यक्तियों की सूची पृथक से आवंटन अधिकारी एवं आवंटन सलाहकार समिति के पास होती है। आवंटन नियम 1975 के नियम 13 (5–ए) में सक्षम घोषित व्यक्तियों को आवंटन करने हेतु लाटरी का प्रावधान है। आदेशिका दिनांक 28.04.1983 में सभी विधिक कार्यवाहियों का उल्लेख है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं आदेशिका को चुनौती दी है जो मात्र अपीलीय उपचार है, ना कि शिकायत का आधार हो सकता है। अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में हुये आवंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

स्व0 ईशरराम की घग्घर डाईवर्जन चैनल मे अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा स्वरूप नगद राशि मिलनी है या तबादला में भूमि मिलनी है, यह प्रश्न अभी ताकि विचाराधीन है, ताहम भी यदि प्रार्थीगण के पक्ष में तबादला भूमि दिये जाने का आदेश भी होता है तो राज्य सरकार विधि अनुसार उन्हे भूमि देने के लिये बाध्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे। *अभिभाषक प्रार्थीयान ने अपनी बहस के प्रक्रम में आरआरडी 2010 पेज सं0 340, आरआरडी 2016 पेज सं0 317, आरआरडी 2017 पेज सं0 486, एआईआर 1994 एस.सी. 1128, डीएनजे 1999 (2) पेज 509, आरआरटी 2016 (1) पेज 718, आरआरडी 2017 पेज 35, आरआरटी 2018 (1) पेज 299 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।*

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

1. प्रश्नगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सपठित धारा 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

धारा 11 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के प्रावधान इस प्रकार है कि:– *"यदि किसी व्यक्ति ने, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी उपनिवेश में काश्तकार के रूप में भूमि पर कब्जा किये हुये है, जानबूझ कर मिथ्या सूचना दी है, अथवा यह विश्वास करने के कारण है कि उसने राज्य सरकार के किसी अधिकारी को अपने काश्तकार होने की अर्हताओं के संबंध में धोखा दिया है तो उसने अपनी काश्तकारी की शर्तों का उल्लंघन किया हुआ समझा जायेगा।"*

इसी प्रकार धारा 14 में प्रावधान है कि:– *"शर्तों के उल्लंघन के लिए शास्ति– जब कलक्टर को समाधान हो जाता है कि काश्तकार ने, जिसके कब्जे में उपनिवेश में भूमि है, अपनी काश्तकारी शर्तों का उल्लंघन किया है, काश्तकार को उपस्थित होने तथा अपने एतराज को कहने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात वहः*

1) काश्तकार पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 2000/–रूपये से अधिक नहीं होगी।

2) काश्तकारी के पुर्नग्रहण के आदेश दे सकेगा।"

इस प्रकार धारा 11 व धारा 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 में स्पष्ट प्रावधान है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में गलत सूचना (False information by tenant) देकर आवंटन कराया गया है तो यह आवंटन की शर्तों का उल्लघंन (Breach of the condition of his tenancy) माना जायेगा।

प्रार्थना पत्र में संलग्न पूर्णराम अप्रार्थी सं0 01 सरकारी भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र में अप्रार्थी सं0 01 द्वारा प्रश्नगत भूमि की मांग नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मीमों एवं बहस में कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि अप्रार्थी सं0 01 पूर्णराम द्वारा अपने भूमि आवंटन के प्रार्थना पत्र में कौन सा कथन मिथ्या अंकन किया गया है। आवेदन पत्र के परीक्षण पर

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी सं0 01 को विधिवत सद्भावी काश्तकार माना है तथा आवंटन का पात्र घोषित किया गया है। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं0 01 को जरिये लॉटरी आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटित की गई है। प्रश्नगत भूमि ही अप्रार्थी सं0 01 को आवंटन होना मात्र संयोग है।

इस प्रकार भूमि आवंटन आवेदन पत्र में अप्रार्थी सं0 01 पूर्णराम द्वारा गलत सूचना दिया जाना साबित नही पाया गया है। प्रकरण में धारा 11 का उल्लंघन नहीं पाया गया है तथा धारा 14 में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2. प्रकरण में आवंटन दिनांक 28.04.1983 का है तथा दिनांक 20.02.1992 को खातेदारी सनद भी जारी की जा चुकी है। जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2017 को पेश किया गया है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र आंवटन के करीब 34 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है।

न्यायिक दृष्टांत AIR 1994 SC 1128 में मा0 न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि "allottee should not be dispossessed as he had been cultivating the land for about two decades." प्रश्नगत प्रकरण में भूमि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में 34 वर्षों से है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में हुबहु चस्पा होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

न्यायिक दृष्टांत DNJ 1999 Raj Page 509 Jas Raj vs Board of Rajasthan & Ors. में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में निर्देश दिये है कि भूमि सन् 1971 में आवंटित हुई जब प्रार्थी सेवा में था, 16 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त किया गया। तथ्य का खुलासा न करना मिथ्या विवरण में नहीं आता है। अनुचित विलम्ब के पश्चात आंवटन निरस्त करना निरस्त करना न्यायसंगत नहीं है।

न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) Page 718 Ramkaran vs State of Rajasthan में वर्ष 1975 में आवंटन नियमन किया। निरस्त करने हेतु 24 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया। परिसीमा काल के न होने पर शक्ति का उपयोग युक्तियुक्ति समय में करना चाहिये। रेस्पोडेन्ट पिछले 30 वर्षों से भूमि काश्त कर रहा है। उसे भूमि से बेदखल करना उचित नहीं होगा।

न्यायिक दृष्टांत RRT 2017 Page 35 L.Rs. Mubarak Khan vs State & others में Allotment cannot be cancelled after 26 years on technical ground.

न्यायिक दृष्टांत RRT 2018(1) Page 299 State of Rajasthan vs Kripashankar & others में Land allotted to respondent. After 21 year he sold the land to BL - in the application allottee R disclosed his occupation as service & agriculture. Allottee was landless person- Self acquired land of father. Appeal of N dismissed because he did not apply for allotment. Appellant can not be said to be an aggrieved person. After conferring khatedari rights, cancelling allotment is not justified. Held, Appeals are meritless & dismissed. उक्त न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण में लागू होते हैं।

उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(रामरतन सौंकरिया)
अपर जिला कलक्टर
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़